2019/00004

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2019	4.1.2019	24/12/19

1. हीरालाल पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी अनियालय तहसील मलारनाडूंगर
2. गल्लू पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी अनियाला तहसील मलारानाडूंगर
3. जगदीश पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी अनियाला तहसील मलारनाडूंगर

--प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र रामपाल, कुम्हार निवासी अनियाला तहसील मलारनाडूंगर
2. बैंक आफ बडौदा शाखा मलारनाचौड
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर --अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री गुलशेर खान, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की डीडवाडा जाने वाली सडक के किनारे आराजी ख0नं0 656 एवं 657 के सडक के उत्तर की ओर लगभग 0.22 है0 भूमि पर 70–80 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त आराजी में मवेशी बांधने का बाडा व रिहायशी मकान बना रखे हैं तथा उक्त मकानात में कदीमी समय से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज रहते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण व इनका परिवार रहता चला आ रहा है। आराजी ख0नं0 656 रकबा 0.41 है0 व ख0नं0 657 रकबा 0.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है0 का मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 250 मि0 रकबा 5 बीघा है। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी कजोड पुत्र रामपाल जाति कुम्हार के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी में दर्ज की गई है। अप्रार्थी का पूर्व से ही कब्जा काश्त प्रार्थीगण की उक्त 0.22 है0 भूमि से 2 हलाई दूर था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने वर्तमान में हमारी 0.22 है0 भूमि को उसके खाते में दर्ज कर दी है जिसे अप्रार्थीगण के खाते से कम की जाकर एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं0 1 ने आज तक प्रार्थीगण को उक्त आराजी के कब्जे को लेकर कभी विवाद नहीं किया। अप्रार्थी के समक्ष हम प्रार्थीगण शांती से रहते चले आ रहे हैं परन्तु अब उक्त आराजी अप्रार्थी के खाते में

(मनोज कुमार वर्मा) उप जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

दर्ज होने से वह हमें बेदखल करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी हक नहीं है। प्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अलावा रहने व जीवन यापन करने हेतु अन्य कोई आराजी नहीं है। उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई वास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा खसरा परिवर्तनशील नकल के पुराने खसरा नम्बर 250 में प्रार्थीगण के पिता सोन्या पुत्र झीता बैरवा किस्म बाडा रकबा 5 विस्वा तथा हीरा पुत्र सोन्या बैरवा रकबा 10 विस्वा पर कब्जा बखूबी साबित है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को कब्जाशुदा भूमि 0.22 है0 आराजी ख0नं0 656, 657 के उत्तरी दिशा से बेदखल करवाने के कारण यह मुकदमा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन होनें से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 11 में दर्ज ख0नं0 656 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 657 रकबा 0.86 है0 ग्राम अनियाला के एडवर्स पजेशन एवं कब्जेशुदा भूमि उत्तर की ओर 0.22 है0 भूमि से अप्रार्थीगण न तो स्वयं बेदखल करें और न ही अपनी किसी प्रतिनिधि, नौकर व एजेंट से उक्त आराजी पर कच्ची या पक्की दीवार व निर्माण नहीं करें तथा प्रार्थीगण को उक्त आराजी में रहने में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2, 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं0 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने वादपत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। आराजी ख0नं0 656 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 657 रकबा 0.86 है0 ग्राम अनियाला का अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा विगत 50 वर्ष से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण ने कुछ समय पूर्व बदनीयति से उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थीगण को पाबंद कराने के लिए न्यायालय उप जिलाकलेक्टर मलारनाडूंगर की शरण ली तथा अपना प्रार्थना पत्र पेशकिया। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि साबिक ख0नं0 250 पर पिता सोन्या व स्वयं हीरालाल का 50 वर्ष पूर्व कब्जा रहा है। प्रार्थीगण का चरागाह भूमि पर कब्जा रहा होगा जो कि कानूनन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जो कि अपराध की श्रेणी में है। चरागाह भूमि पर अतिक्रमी को अप्रार्थी की कब्जे एवं खातेदारी की मद नं0 1 में वर्णित

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

भूमि पर कब्जा करने एवं खातेदारी लेने का कोई कानूनन हक हासिल नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व क्षतिपूर्ति के बिन्दु सिद्ध नहीं होते हैं इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 11 ग्राम अनियाला, फोटो कोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 बाबत् ख0नं0 655, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी नकल हाल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2046 से 2049, फोटोकोपी नकल खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1 ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2074–75, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी नं0 1 हीरालाल बैरवा का व प्रार्थीगण के पिता सोन्या बैरवा का 70–80 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग ने वादग्रस्त भूमि को गलत रूप से अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज की दी है। इस गलत इन्द्राज के कारण अब अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थी नं0 1 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 के अनुसार भूमि ख0नं0 656, 657 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2074, 2075 के अनुसार इन नम्बरों पर अप्रार्थी नं0 1 की काश्त दर्ज है। फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 250 से वर्तमान में काफी नम्बर बने हैं जिनमें ख0नं0 656,

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

657 भी हैं। साबिक ख0नं0 250 चरागाह दर्ज रहा है। चरागाह भूमि पर प्रार्थीगण का भी कब्जा रहा है जो अतिक्रमी के रूप में रहा है एवं इसके आधार पर प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 जो कि वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कले
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.17 14:03:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: